न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./02/2018/जैसलमेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. गोविन्दसिंह पुत्र चनणसिंह 2. हरिसिंह पुत्र चनणसिंह जाति राजपूत निवासी बोनाड़ा तहसील भणीयाणा जिला जैसलमेर	बनाम	1.श्रीमान डायरेक्टर आईनोक्स विण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड आईनोक्स टावर प्लोट नम्बर 17 सेक्टर16 ए फिल्म सिटी नोएडा (उत्तरप्रदेश)। 2.श्रीमान तहसीलदार भणियाणा।

उपस्थित

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री चन्द्रभानसिंह महेंचा रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर भणियाणा मुकाम पोकरण के राजस्व आवेदन संख्या 09/2016 बअनवान गोविन्दसिंह वगैरा बनाम आईनोक्स वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

निर्णय

दिनांकः– 27.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण की खातेदारी एवं कब्जा व काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या **713/267** रकबा 42.10 बीघा किस्म ई–3 मौजा ग्राम बोनाडा पटवार हल्का ओला तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर में स्थित है। अपीलांटगण की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में रेस्पोडेंट अपने स्थानीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के जरिये अतिक्रमण कर पंखा निर्माण करने पर तुला हुआ है। यदि रेस्पोडेंट जबरदस्ती अतिक्रमण कर अपीलांटगण की भूमि हड़पते है तो अपीलांटगण को न्युसेंस के साथ अपूरणीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.01.2016 को अपीलांटगण के पक्ष में अन्तरिम स्थगन पारित कर अपीलांटगण के खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी न करने व न ही अपीलांटगण की भूमि में मशीनरी डालकर पंखे वगैरह का निर्माण करने के लिये अन्तरिम स्थगन से पाबंद किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की सुस्पष्ट विवेचना किये बिना व अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दुओं की स्थिति निर्धारित किये बिना आलोच्य आदेश पारित किया जो काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.01.2016 को अपीलांटगण के पक्ष में अन्तरिम स्थगन पारित कर अपीलांटगण के खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी न करने व न ही अपीलांटगण की भूमि में मशीनरी डालकर पंखे वगैरह का निर्माण करने के लिये अन्तरिम स्थगन से पाबंद किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की सुस्पष्ट विवेचना किये बिना व अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दुओं की स्थिति निर्धारित किये बिना आलोच्य आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त एवं विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपीलकर्ता ने उक्त अपील गलत तथ्यों के आधार पर उतरदाता संख्या 01 के विरूद्ध उसे तंग एवं परेशान करने एवं खर्चे से जैरबार करने के लिए प्रस्तुत की है। उतरदाता संख्या 01 ने अपीलाकर्ता की खातेदारी भूमि में कभी हस्तेक्षप नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर अस्थाई निषधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों बिन्दुओं का सही तरीके से सूक्ष्म विश्लेषण कर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो सही एवं विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थीगण का अपीलाधीन आदेश में विवादित खसरा संख्या 713/267 उल्लेखित है जिसमें उनके अलावा एमकंवर बेवा चनणसिंह रिकॉर्डेड सहखातेदार है, जिन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड ग्राम बोनाडा जमाबंदी संवत 2069-2072 खाता संख्या 29 मुताबिक <u>"पवन उर्जा संयत्र लोकेशन संख्या 80"</u> ग्राम बोनाडा के खेत खसरा संख्या 783/265 रकबा 18.09 बीघा के क्रेता खातेदार कंपनी "क्लीन विण्ड पावर(देवगढ़) ने विक्रेता खातेदार कानदान पुत्र सांगीदान से रजिस्टर्ड बेचान से खातेदारी भूमि का नामातंरण संख्या 618 के अनुसार औद्योगिक अर्जन विण्ड पॉवर प्रोजेक्ट प्रयोजन संपरिवर्तित कराकर स्थापित किया है। <u>खातेदार कंपनी "क्लीन विण्ड पावर(देवगढ़) प्राईवेट लिमिटेड आवश्यक पक्षकार है</u> जिसे भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलाधीन आदेश का भी अवलोकन किया। इसमें उल्लिखित मौका रिपोर्ट , जो सर्वथा ग्राह्य एवं विश्वसनीय है क्योंकि यह सक्षम एवं विज्ञ सदस्यों की गठित कमेटी द्वारा तैयार की गई है, से स्पष्ट है कि **प्राथीगण/अपीलांट की भूमि विवादित विण्ड पावर की लोकेशन संख्या 80 की भूमि** से सर्वथा 25 मीटर दूरस्थ एवं सर्वथा भिन्न भूमि में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील **सारहीन** एवं **आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा मुकाम पोकरण द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 09/2016 बअनवान गोविन्दसिंह वगैरा बनाम आईनोक्स वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 को यथावत रखा जाता है।

27/5/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 27.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/5/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner